



प्रेस विज्ञप्ति

17.8.2023

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम और महानगर परिवहन निगम (चेन्नई) में 'नौकरी के बदले नकदी घोटाला' (कैश फॉर जॉब्स स्कैम) से जनित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए 12/08/2023 को तत्कालीन परिवहन मंत्री, तमिलनाडु के वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ विशेष न्यायालय, चेन्नई के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय विशेष न्यायालय, चेन्नई ने दिनांक 16.08.2023 को ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।

ईडी ने केंद्रीय अपराध शाखा (सेंट्रल क्राइम ब्रांच), चेन्नई द्वारा (कैश फॉर जॉब्स स्कैम) में दर्ज तीन प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिसमें 3 आरोपपत्र (चार्जशीट) फाईल किए गए हैं और उन तीनों में वी. सेंथिल बालाजी को मुख्य आरोपी के रूप में पेश किया गया है।

इस मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16.05.2023 के आदेश द्वारा तमिलनाडु राज्य पुलिस को 2 महीने के भीतर आगे की जांच करने और पूरक आरोप पत्र दायर करने का आदेश दिया था और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 01.09.2022 के आदेश के माध्यम से जांच पर लगी स्थगन आदेश को हटाते हुए ईडी को अपनी जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी।

ईडी की जांच से पता चला कि, तत्कालीन परिवहन मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने अपने भाई आरवी अशोक कुमार और अपने व्यक्तिगत सहायकों बी शनमुगम और एम कार्तिकेयन के साथ अपनी आधिकारिक क्षमता का दुरुपयोग करते हुए, राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के तत्कालीन प्रबंध निदेशकों और परिवहन निगम के अन्य अधिकारियों के साथ एक आपराधिक साजिश रची और उम्मीदवारों से परिवहन निगमों में ड्राइवरों, कंडक्टरों, जूनियर ट्रेड्समैन, जूनियर सहायकों, जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता के रूप में भर्ती करने के लिए अवैध परितोषण लिए ।

ईडी जांच के दौरान, बैंक स्टेटमेंट के विश्लेषण से पता चला कि आरोपी वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी एस मेघला के बैंक खातों में भारी नकदी जमा हुई है। इसके अलावा, ईडी ने अपराध जनित आगम के उपयोग का संकेत देने वाले आपराधिक साक्ष्य जुटाये जो कि 'नौकरी के बदले नकदी घोटाला' (कैश फॉर जॉब्स स्कैम) से जुड़े तार और कार्यप्रणाली को उजागर करते हैं।

जांच के दौरान, वी सेंथिल बालाजी को आपराधिक सबूतों को दिखाया गया, लेकिन वह इसका खंडन करने और कोई भी प्रमाणिक स्पष्टीकरण पेश करने में विफल रहे, बजाय इसके वह जांच कार्यवाही के दौरान असहयोग और टालमटोल करते रहे।